भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1931

उत्तर देने की तारीख 31 /07/2025

विस्थापित किए गए जनजातीय लोगों का पुनर्वास

+1931. श्री राहुल गांधी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में अवसंरचना, खनन और संरक्षण परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए जनजातीय लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में उक्त विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की स्थिति क्या है;

(ग) विस्थापित जनजातीय समुदायों के लिए भूमि, आवास, शिक्षा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में कोई निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) जो भूमि संबंधी मामलों के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि भूमि और उसका प्रबंधन भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत किया जाता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 भी शामिल है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को उक्त अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत परिभाषित 'उपयुक्त सरकार' द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विस्थापित/प्रभावित परिवारों का डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। हालाँकि, सरकार विभिन्न कानूनों के तहत जनजातीय समुदायों के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के तहत विशेष प्रावधान अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं या योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य निगरानी समितियों का गठन किया गया है। भूमि अभिग्रहण, मुआवज़ा, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे के लिए, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 51 के अनुसार, उपयुक्त सरकार द्वारा "भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन (एलएआरआर) प्राधिकरण" की स्थापना की गयी है। एलएआरआर प्राधिकरणों को प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उनके पास भेजे गए संदर्भों का निपटारा करना होता है।राष्ट्रीय स्तर पर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजनाओं या केवल राष्ट्रीय या अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए सचिव (डीओएलआर) की अध्यक्षता में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 48 के तहत राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसी) का गठन किया गया है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन अधिकार अधिनियम के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासन हेतु नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहलुओं सम्बंधी निर्देश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति समुदाय के विस्थापन से संबंधित प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

अनुलग्नक

दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1931 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान इस प्रकार हैं:

(1) अनुसूची-V के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को आदिवासियों से भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबन्धित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि आवंटन को विनियमित करने का अधिकार है। संविधान की अनुसूची-V के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में किसी जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

(2) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (संक्षेप में पेसा) में यह भी प्रावधान है कि "विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायतों से परामर्श किया जाएगा।"

(3) 2006 में अधिनियमित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (संक्षेप में, एफआरए) न केवल जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थानों को शामिल करने का भी प्रयास करता है।

क) एफआरए की धारा 4 (4) में प्रावधान है कि यह अधिकार वंशानुगत होगा, लेकिन परिवर्तनीय या हस्तांतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति-पत्नी दोनोंके नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होगा और एकल व्यक्ति द्वारा संचालित परिवार के मामले में एकल मुखिया के नाम पर पंजीकृत होगा और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, वंशानुगत अधिकार निकटतम संबंधी को हस्तांतरित हो जाएगा।

ख) एफआरए की धारा 4 (5) में कहा गया है कि "अन्यथा प्रावधान के अलावा, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासी के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से तब तक बेदखल या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती"।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना या किसी भूमि या परिसर या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना या फसलों को नष्ट करना या वहां से उपज को ले जाना अत्याचार का अपराध माना जाएगा और उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।

(5) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिन्हें धारा 41 और 42 के तहत स्पष्ट किया गया है।

(i) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भूमि स्वामियों के लिए प्रतिकर (मुआवजे) का प्रावधान है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द)(ii) के अनुसार, 'भूमि स्वामी' में वह व्यक्ति शामिल है जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 (2007 का 2) या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ii) आरएफसीटीएलएआरआर की दूसरी अनुसूची में पहली अनुसूची के अतिरिक्त सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और उन परिवारों, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन का प्रावधान किया गया है।

(iii) आरएफसीटीएलएआरआर की तीसरी अनुसूची, पुनर्वास क्षेत्र में यथोचित रूप से रहने योग्य और नियोजित बसावट के लिए बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहचान [धारा 3 की उपधारा (ग)], मुआवज़े की राशि का निर्धारण और गणना (धारा 26 से 29), और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रियाएँ विकसित करने की प्रक्रिया (अध्याय V और VI) का भी उल्लेख है।

*****